मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2012 (चैत्र 2, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 73 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार क्रमांक एफ-2-46/2010/26-2, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का सप्तम वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 606 /म.प्र.वि.नि.आ./2012, दिनांक 28 फरवरी, 2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के जनपद पंचायत कटंगी अंतर्गत तालाब निर्माण में लगे मजदूरों को मजदूरी न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, जिला सहकारी बैंक भिण्ड द्वारा लीड संस्थाओं के प्रबन्धकों द्वारा अनियमितता के संबंध में कार्यवाही न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रणवीर जाटव, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, सिवनी एवं भिण्ड जिले में ओला वृष्टि से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य, खरगौन जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों को बंद किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम मझेड़ा निवासी गायब युवक की हत्या की आशंका की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, प्रदेश में रेत के भाव में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री रामनिवास रावत, पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के कुशलपुरा सिंचाई परियोजना में मापदण्डों के अनुसार गेट न लगाये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में क्रेशर हेतु बनी दीवार गिरने से कई मजदूरों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, शिवपुरी जिले के कोलारस तहसीलदार की प्रताड़ना से पटवारी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम परीक्षा में सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज फार्म हाउस में बलात्कार के बाद हत्या की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के मौ थाना पुलिस कर्मियों की फायरिंग से युवक की मौत होने की ओर गृह की मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में जबरिया नसबंदी आपरेशन किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य, इंदौर में अज्ञात बदमाशों द्वारा वाहनों में आग लगाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत पामाखेड़ी में बंदरों द्वारा फसल नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण न होने की ओर राज्य मंत्री उर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री रणवीर जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के-

(क) ग्राम पपोड़ी कलाबी की बेलकुंड नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ख) ग्राम मोहदा, मोहदी को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,
(ग) ग्राम इटोकी की लमेर नदी के तट पर रिटेनिंग वाल निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम पटना के बेलकुण्ड नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम पंचायत तोला में पटकफरी नदी पर स्टाप डेम कम काजवे का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-

(क) ग्राम समनापुर-रमपुरा से केरपानी मार्ग निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम हीरापुर में कांजी हाऊस निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम खैरीनाका से सुरगी तक पहुँच मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के-

(क) ग्राम पंचायत विनती के तालाब का गहरीकरण कराये जाने,
(ख) विकास खंड पटेरा में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
(ग) विकास खंड पटेरा मुख्य मार्ग से ग्राम बमुरिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम पंचायत विलाई में हाई स्कूल भवन निर्माण कराये जाने,
(ड.) ग्राम पंचायत देवरी फतेहपुर के हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने, तथा
(च) ग्राम पंचायत हिनोताकला की प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(4) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के-

(क) ग्राम गोरडोंगरी के शासकीय कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम जमुनिया जेठू के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम सहपानी बारंगा के शासकीय हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम काजनडोह के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
(ड.) ग्राम बरारिया के हाई स्कूल का उन्न्यन कराये जाने,

-3-

(5) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य, राजगढ़ जिले के-

(क) ग्राम कठुला कड़लावद के नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ख) तहसील सारंगपुर से खण्डावत तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने,
(ग) सारंगपुर तहसील का भवन निर्माण कराये जाने, तथा
(घ) ग्राम चिकोद में नवीन हायर सेकेंड्री स्कूल खोले जाने,

(6) श्रीमती रेखा, सदस्य, दमोह जिले के-

(क) दमोह हीरापुर मार्ग को डिवाईडर युक्त सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम बांजना के पास भीमकुंड के बकस्वाहा तक पाईप लाईन डालकर जल आपूर्ति कराये जाने,

(7) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 50 ईश्वर नगर में नल की लाईन डालकर पानी सप्लाई कराये जाने ,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

निर्धारित समय			
1 घण्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या – 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
		मांग संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण
		मांग संख्या – 64	अनुसूचित जाति उपयोजना
1 घण्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास
1 घन्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या – 26	संस्कृति
		मांग संख्या – 32	जनसंपर्क
		मांग संख्या – 44	उच्च शिक्षा
		मांग संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
		मांग संख्या – 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
		मांग संख्या – 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा 30 मि.	(5)	मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल
		मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) का *पुरःस्थापन करेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 21 मार्च, 2012

*** मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**